

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(5)राज/वाद/2022

जयपुर, दिनांक 22/2/24

:: शुद्धि पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत च0श्रे0 कर्मचारियों की विभागीय आदेश दिनांक 13.02.2024 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप आदेश में वर्णित कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में वर्णित कार्यालयों में पदस्थापन किया गया है।

उक्त आदेश में वर्णित सूची के क्र0सं0 3 पर वर्णित कार्मिक श्रीमती फूला देवी, कनिष्ठ सहायक के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय का नाम अपर लोक अभियोजक, सं02, अलवर के स्थान पर कार्यालय अपर लोक अभियोजक (सिविल), अलवर पढ़ा जावे।

ह0

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
2. सम्बन्धित जिला कलक्टर.....।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी.....।
4. सम्बन्धित कार्यालय.....।
5. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कर्मचारी..... को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 8(32)राज/वाद/08 पार्ट-7

जयपुर, दिनांक 22/02/2024

:: शुद्धि पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में वर्णित कार्यालयों में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया किया गया है।

उक्त आदेश में वर्णित सूची के क0सं0 35 पर वर्णित कार्मिक श्री धन्ना लाल मीणा के स्थान पर श्री धन्ना लाल गुर्जर पढ़ा जावे।

ह०  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
2. सम्बन्धित जिला कलक्टर.....।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी.....।
4. सम्बन्धित कार्यालय.....।
5. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कर्मचारी..... को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, विधि